भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 868
दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दमन और दीव में आयुष्मान भारत योजना

868. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमन और दीव में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष केवल जनवरी से अप्रैल तक ही कार्ड जारी किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मई से दिसम्बर की अवधि में यदि किसी उपचार की आवश्यकता होती है तो क्या किसी गरीब व्यक्ति द्वारा उपचार शुल्क वहन किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार वर्षभर आयुष्मान कार्ड जारी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा उन गरीब लोगों को उपचार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है जो समय पर अपने कार्डों का नवीकरण नहीं करा पा रहे हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): दमन और दीव सहित आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड किसी भी समय अर्थात पूरे वर्ष बना सकते हैं।

संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव और दादरा और नागर हवेली, अपने संघ राज्य क्षेत्रों में एबी-पीएमजेएवाई के तहत आने वाले निवासियों के अलावा अन्य निवासियों (अर्थात् एपीएल परिवारों) के लिए एबी-पीएमजेएवाई पारि-प्रणाली का उपयोग करते हुए एक अलग सह-अंशदान योजना, संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करता है। यह राज्य-विशिष्ट योजना पूरी तरह से संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रबंधित की जाती है और फरवरी से अप्रैल तक नामांकन की अवधि तय की जाती है।

एबी-पीएमजेएवाई लाभार्थियों के लिए उपचार पूरे वर्ष सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्र अन्य रोगियों के लिए सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान करता है।

*****